न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : अरविन्द शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 09/2024 अपील प्रार्थना पत्र

1. सुमन शर्मा पत्नि श्री महेश शर्मा आंगनबाडी कार्यकर्ता वार्ड पुराना 24 एवं नया 33 दौसा जिला दौसा ।

अपीलांट

बनाम

1. उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग दौसा।
2. बाल विकास परियोजना अधिकारी दौसा।
3. श्वेता शर्मा पत्नि दीपक कुमार शर्मा निवासी झगडेश्वर महादेव मंदिर के पास व्यास मोहल्ला दौसा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट्स

(अपील विरूद्ध चयन आदेश बाल विकास परियोजना अधिकारी दौसा दिनांक 29.02.2024 वार्ड नं. 24 नगर परिषद दौसा के आंगनबाडी कार्यकर्ता अप्रार्थी संख्या 03 के चयन के संबंध में।)

उपस्थिति : श्री सुनील कुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलांट उपस्थित।
: श्री तेजप्रकाश अग्निहोत्री उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग दौसा।
: श्री रविन्द्रसिंह बैसला अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 03 उपस्थित।

—:निर्णयः— दिनांकः 13.01.2026

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट आंगनबाडी केन्द्र पुराना वार्ड नंबर 24 नवसृजित वार्ड नंबर 33 में आशा सहयोगिनी के रूप में विगत 12-13 वर्षों से कार्य कर रही है तथा कार्यकर्ता के पद का अतिरिक्त कार्यभार भी अपीलान्ट के पास ही है एवं दोनों पदों पर अपीलान्ट ही कार्य कर रही थी तथा उक्त दोनों पदो पर कार्य करने की अपीलान्ट शैक्षणिक योग्यता रखती है व कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र भी है परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा नियमो की अवहेलना करते हुए अप्रार्थी संख्या 3 का पुराना वार्ड नंबर 24 नवसृजित वार्ड नंबर 33 की कार्यकर्ता आंगनबाडी के पद पर कतही अवैधानिक आधार पर चयन आदेश दिनांक 29.02.2024 को किया गया है जो कतही अवैधानिक है क्योंकि अपीलान्ट उक्त पद पर योग्यता भी रखती है व अनुभव भी है। इसलिए अपीलान्ट का ही प्राथमिकता व योग्यता के आधार पर चयन किया जाना चाहिए था परन्तु रेस्पोडेन्ट नंबर 1 व 2 द्वारा रेस्पोडेन्ट नंबर 3 से मिलीभगत कर चयन पुराना वार्ड नंबर 24 नवसृजित वार्ड नंबर 33 में कार्यकर्ता के लिए आदेश दिया है जो कतही अवैधानिक है इसलिए उक्त चयन आदेश दिनांक 29.02.2024 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

अपील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स को तलब किया गया तथा उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग दौसा से प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई। तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट नंबर 1 व 2 का चयन आदेश खिलाफ कानून नियम उप नियम व पत्रावली तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय हैं। अपीलान्ट विगत 12–13 वर्षों से आशा सहयोगिनी व आंगनबाडी कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत है तथा दोनों पदो पर ईमानदारी से कार्य कर रही है तथा अपीलान्ट उक्त पद पर योग्यता भी रखती है तथा उसको अनुभव भी है इसलिए उक्त पद पर प्राथमिकता, योग्यता व अनुभव आधार पर अपीलान्ट को प्राथमिकता देनी चाहिए थी परन्तु रेस्पोडेन्ट नंबर 1 व 2 ने रेस्पोडेन्ट नंबर 3 से मिलीभगत कर चयन आदेश जारी किया है जो

अति. जिला कलक्टर
दौसा

नियम विरूद्ध होने के कारण प्रथम स्तर पर ही निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट नंबर 3 का चयन आदेश करने से पूर्व न तो नियमो का पालन किया और न ही प्राथमिकता व अनुभव के आधार पर कोई विचार ही नहीं किया इसलिए भी अधीनस्थ महिला बाल विकास विभाग दौसा का चयन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट नंबर 3 ने वार्ड नंबर 30 में कार्यकर्ता के अतिरिक्त प्रभार के लिए आवेदन किया था। पुराने वार्ड 24 जिसका नवसृजित वार्ड 33 में वार्ड संख्या 30 का ना तो सर्वे से जुड़ा हुआ है और ना ही वार्ड संख्या 30 के लाभान्वितो ने आंगनबाडी संख्या 24 पर संचालित केन्द्र से पोषाहार प्राप्त किया गया है जिसकी पुष्टि उक्त वार्ड का रिकार्ड संबंधित दस्तावेज सर्वे रजिस्टर, लाभान्वित रजिस्टर, पोषाहर प्राप्त लाभान्वितों का रजिस्टर, निरीक्षण पर आये हुये अधिकारियों के 10–11 वर्षों के मय हस्ताक्षर रजिस्टर से होती है। जबकि वार्ड संख्या 30 निवासी श्वेता शर्मा को दी गई नियुक्ति नियम विरूद्ध व रिकॉर्ड के अनुसार नहीं है। सर्वे में वार्ड नंबर 24 में वार्ड नंबर 27 व 33 आते है इनका ही अपीलान्ट ने सर्वे किया है और लाभार्थियो को पोषाहार दिया गया है चूंकि 30 वार्ड नंबर ना तो सर्वे में है ना ही कोई लाभार्थी है इसलिए उक्त चयन गलत किया गया है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 उक्त वार्ड की सदस्य भी नहीं है तथा वार्ड नंबर 26 में आशा सहयोगिनी का कार्य करती है इस प्रकार रेस्पोडेन्ट नंबर 3 का पुराना वार्ड नंबर 24 नवसृजित वार्ड नंबर 33 में कार्यकर्ता के रूप में चयन कानून व नियमो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग दौसा का चयन आदेश दिनांक 29.02.2024 निरस्त फरमाने की कृपा करे व उक्त पद पर अपीलान्ट का चयन प्राथमिकता व अनुभव के आधार पर करने हेतु आदेशित फरमाने की कृपा करे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 03 द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि रेस्पोडेन्ट नं. 03 श्वेता शर्मा पत्नि दीपक कुमार शर्मा का नियमानुसार विज्ञप्ति निकाल कर विज्ञप्ति में वांछित शर्तो के मुताबिक व चयन के निर्धारित मापदण्डो के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार चयन किया गया है। इसमें अपीलांट सहित कुल 20 आवेदको ने आवेदन किया गया था। जिसमें निर्धारित मापदण्ड अनुसार रेस्पोडेन्ट नं. 03 को विभिन्न कैटेगरी के अंक जोडते हुये कुल 08 अंक जो कि सर्वाधिक है प्राप्त होने पर नियमानुसार चयन किया गया है। जबकि अपीलान्टकर्ता सुमन को निर्धारित मापदण्डों के अनुसार 07 अंक प्राप्त हुये थे। रेस्पोडेन्ट नं. 03 अपने चयनित स्थानों पर आज तक निरन्तर कार्य करती आ रही है। जबकि अपीलान्ट उसके पूर्व पद पर इसी वार्ड में आशा सहयोगिनी के पद पर कार्य कर रही है। अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट नं. 03 को नाजायज रूप से परेशान करने बाबत यह अपील पेश की गयी है जो खारिज फरमावे।

उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग दौसा द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि विभागीय परिपत्र 4244 दिनांक 12.01.2023 के क्रम में कार्यालय उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग दौसा द्वारा दिनांक 26.06.2023 को बाल विकास परियोजना अधिकारियों से प्राप्त मानदेयकर्मियों के रिक्त पदों की सूचना के आधार पर जारी विज्ञप्ति संख्या 01/2023 जारी की गई थी। बाल विकास परियोजना अधिकारी दौसा के पत्रांक 983 दिनांक 21.06.2023 द्वारा प्रेषित रिक्त मानदेयकर्मियों की सूचनानुसार नगर परिषद दौसा के पुराने वार्ड नम्बर 24 में कार्यकर्ता के रिक्त पद हेतु नवीन परिसीमन उपरांत वार्ड नम्बर 27, 30 एवं 33 की महिलायें आवेदन हेतु पात्र थी। परियोजना दौसा के नगरपरिषद क्षेत्र के आंगनबाडी कायकर्ताओं हेतु 2 पद एवं सहायिका पद हेतु 05 अर्थात् कुल 07 मानदेयकर्मियों के रिक्त पद हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये थे जिसमें आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या 24 आंगनबाडी कार्यकर्ता का पद भी शामिल था। परिवादी श्रीमती सुमन शर्मा, आशा सहयोगिनी द्वारा भी उक्त रिक्त पद हेतु आवेदन किया गया था। उक्त पद हेतु कुल 20 आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे। इस कार्यालय के पत्रांक 2017 दिनांक 13.12.2023, 2789 दिनांक 09.01.2024 एवं 2806 दिनांक 10.01.2024 द्वारा नगर परिषद क्षेत्र दौसा के रिक्त मानदेय पदों पर चयन बाबत निदेशालय स्तर से उचित मार्गदर्शन/निर्देश चाहे गये जिसके

अति. जिला कलक्टर
दौसा

क्रम में निदेशालय से प्रासंगिक पत्रांक 36044 दिनांक 08.02.2024 में प्रदत्त मार्गदर्शन उपरांत दिनांक 14.02.2024 को उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग दौसा की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा उक्त पद की चयन प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई हैं। उक्त पद पर विभागीय चयन परिपत्र अनुसार ही चयन प्रक्रिया संपादित की गई है चयन में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं हुयी हैं। उक्त पद हेतु चयनित प्रथम वरियता प्राप्त श्रीमती श्वेता शर्मा पत्नि श्री दीपक कुमार शर्मा पूर्व में आशा सहयोगिनी के पद पर कार्यरत थी एवं नगर परिषद दौसा के वार्ड नम्बर 30 की मूल निवासी है। परिवादी श्रीमती सुमन शर्मा, वर्तमान में उक्त केन्द्र पर चिकित्सा विभाग के अधीन आशा सहयोगिनी के पद पर कार्यरत है।

उपस्थित उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। नगर परिषद दौसा के पुराने वार्ड नं. 24 में कार्यकर्ता के रिक्त पद हेतु नवीन परिसीमन उपरांत वार्ड नं. 27, 30 एवं 33 की महिलाये आवेदन हेतु पात्र होना तथा मानदेय कर्मियो के चयन हेतु वरियता सूची अनुसार श्वेता शर्मा पत्नि दीपक कुमार शर्मा को शैक्षणिक योग्यता B.A. का 01 अंक E.W.S. का 02 अंक RSCIT प्रमाण पत्र का 01 अंक आशा सहयोगिनी के कार्यानुभव का 04 अंक कुल 08 अंक प्राप्त किये गये है। जबकि अपीलांट सुमन शर्मा को शैक्षणिक योग्यता का 00 अंक E.W.S. का 02 अंक RSCIT प्रमाण पत्र का 01 अंक आशा सहयोगिनी के कार्यानुभव का 04 अंक कुल 07 अंक प्राप्त किये गये है। इस प्रकार वरियता क्रम में प्रथम वरियता प्राप्त करने पर रेस्पोडेन्ट नं. 03 श्वेता शर्मा पत्नि दीपक कुमार शर्मा का आंगनबाडी कार्यकर्ता के पद पर चयन किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग दौसा को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नंबर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

13.1.2026

(अरविन्द शर्मा)
अति० जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 13.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

13.1.2026

(अरविन्द शर्मा)
अति० जिला कलक्टर, दौसा